निविदा के लिए अनुरोध

माल और सेवा कर (जीएसटी) के सलाहकार
की नियुक्ति के लिए

संदर्भ: ईसीजीसी/निविदा-01/एसीसी-01/2022-23
दिनांक: 14-06-2022
ईसीजीसी लिमिटेड
5वीं मंजिल, निर्मल बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

विषय वस्तु

क्रस	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
1.1	बोलीदाताओं को आमंत्रण	3
1.2	कार्यक्रम की अनुसूची	4
2	अस्वीकरण	5
3	बोलीदाता(ओं) के लिए निर्देश	6
3.1	सामान्य निर्देश	6
3.2	कार्यक्षेत्र	10
3.3	ईसीजीसी के अधिकार	10
3.4	पेशेवर स्टाफ	10
3.5	प्रश्न	10
3.6	बोली प्रक्रिया	11
3.7	बोलियों की वैधता की अवधि	12
3.8	बोलियों खोलना एवं मूल्यांकन	13
4	निविदा प्रदान करना	15
5	अनुबंध के नियम और शर्तें (टीसीसी)	16
6	अनुलग्नक	17
	अनुलग्नक – 1: कार्य क्षेत्र	18
	अनुलग्नक – 2: पेशेवर कर्मियों का विवरण	20
	अनुलग्नक – 3: प्रश्न प्रारूप	21
	अनुलग्नक – 4: मूल्य/वित्तीय बोली प्रारूप	22
	अनुलग्नक – 5: अभिस्वीकृति	24
	अनुलग्नक – 6: आवेदन का प्रारूप	26
	अनुलग्नक – 7: सेवा अनुबंध प्रारूप	28
	अनुलग्नक – 8: बैंक विवरण	43
	अनुलग्नक – 9: पात्रता मानदंड	44

भाग 1

1. परिचय

1.1. बोलीदाताओं को आमंत्रण

इस निविदा अनुरोध दस्तावेज ('आर एफ टी') के माध्यम से, (बाद में इसे 'बोली दस्तावेज' या 'निविदा दस्तावेज' भी कहा जाएगा) ईसीजीसी लिमिटेड (इसके बाद 'ईसीजीसी' के रूप में जाना जाता है), एक कंपनी जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और 1957 में स्थापित की गई है, **"माल और सेवा कर (जी एस टी) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति"** हेतु मुंबई स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों (बाद में ('बोलीदाता' के रूप में संदर्भित) से प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करता है।

अन्य दस्तावेजों के साथ "तकनीकी एवं वित्तीय बोली" भौतिक रूप में प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निविदा प्रस्तुति को यह समझा जाएगा कि निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन और उसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ जांच के बाद बोलियों को प्रस्तुत किया गया है।

ई सी जी सी ECGC

कृपया ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी। अधूरी जानकारी के कारण बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है। कंपनी इस आरएफटी दस्तावेज़ में उल्लिखित तिथियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसे बोलीदाता को सूचित किया जाएगा, और ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस आरएफटी दस्तावेज़ के जवाब में बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति होगी और वापस नहीं किया जाएगी। ईसीजीसी इस आरएफटी दस्तावेज़ को संशोधित करने, रद्द करने या फिर से जारी करने, और इसके बाद के सभी संशोधन करने, यदि कोई इस आरएफटी दस्तावेज़ में है, का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधनों या परिवर्तनों को सीधे ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित और/या प्रदर्शित किया जाएगा।

1.2. कार्यक्रम की अनुसूची

आर एफ़ टी दस्तावेज़ उपलब्धता	आरएफटी दस्तावेज ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	04/07/2022, 17: 00 बजे
बोलियाँ खोलने की तारीख	05/07/2022
सम्पर्क विवरण: सहायक महाप्रबंधक (समप्र): 022-66590738 (सीधा)/ 022- 66590700/10/11 (बोर्ड लाइन) वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा): 022-66590776 (सीधा)/ 022- 66590700/10/11 (बोर्ड लाइन)	
पत्राचार एवं बोली जमा करने का पता	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) ईसीजीसी लिमिटेड, निर्मल बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
इस आरएफटी दस्तावेज़ से संबंधित सभी पत्राचार/प्रश्न केवल निम्नलिखित ईमेल आईडी पर/के माध्यम से भेजे जाए	accounts@ecgc.in

नोट: समयसीमा ईसीजीसी लिमिटेड के पूर्ण विवेक पर परिवर्तन के अधीन है।

भाग - 2

2. अस्वीकरण

बोलीदाता(ओं) को इस आरएफ़टी दस्तावेज़ में उपलब्ध जानकारी अथवा बाद में ईसीजीसी द्वारा अथवा उसकी ओर से दस्तावेज के रूप में प्रदान की गयी कोई भी जानकारी आरएफ़टी दस्तावेज़ में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।

यह आरएफ़टी दस्तावेज़ न तो कोई समझौता अथवा न ही कोई प्रस्ताव नही है एवं ईसीजीसी द्वारा इच्छुक पार्टियों को बोली प्रस्तुत करने के लिए केवल एक आमंत्रण मात्र है। इस आरएफटी दस्तावेज़ का उद्देश्य बोलीदाताओं को उनकी बोली लगाने के लिए सहायता करना है।

यह आरएफटी दस्तावेज़ प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक सभी जानकारियां शामिल करने का दावा नहीं करता है। ईसीजीसी द्वारा इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी कानून, विधान, नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं लिया जाएगा। ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से परंतु बिना किसी दायित्व के इस आरएफ़टी दस्तावेज़ में अद्यतन, संशोधन अथवा पूरक कर सकता है।

ईसीजीसी बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर इस दस्तावेज़ के प्रतिउत्तर में प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इस दस्तावेज़ के जवाब में बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी एवं वापस नहीं की जाएगी। आरएफटी प्रक्रिया से तब तक कोई भी संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि ईसीजीसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा चयनित बोलीदाता के साथ औपचारिक अनुबंध/सेवा समझौते पर हस्ताक्षर एवं निष्पादन नहीं किया जाता है।

भाग - 3

3. बोलीदाता(ओं) के लिए निर्देश

3.1. सामान्य निर्देश

3.1.1 बोली से पहले, बोलीदाता(ओं) से निवेदन है कि ईसीजीसी की वेबसाइट www.ecgc.in देखें एवं साथ ही निविदा दस्तावेज़ एवं इसमें दिये गए संविदा के नियम व शर्तों की सावधानी से पढ़ें तथा यदि निविदा दस्तावेज़ एवं संविदा में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति पाई जाती है तो इसकी स्पष्टता के लिए उन्हे तुरंत इसकी जानकारी ईसीजीसी को दें।

3.1.2 **अनुलग्नक -9** में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाली इच्छुक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्में - अपनी तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग लिफाफों में जमा कर सकती हैं जिन पर '**तकनीकी बोली**' एवं **"वित्तीय बोली'** लिखा हुआ हो। इन दो लिफाफों को विधिवत मुहरबंद किया जाना है एवं एक बड़े मुहरबंद नॉन-विंडो लिफाफे में रखा जाना है जिस पर 'माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के लिए कोटेशन' लिखा हुआ हो।

3.1.3 बोली लगाने के उद्देश्य के लिए बोलीदाता द्वारा , सभी प्रकार से, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न फॉर्म (फॉर्मों) को पूरा भरा जाए , कीमत कोट की जाएँ एवं उसमें मांगी गई जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ, एवं प्रत्येक प्रपत्र/फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किए जाएँ एवं तारीख लिखी जाए । बोलीदाता बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना आद्याक्षर किए जाएँ।

3.1.4 बोली पर किसी व्यक्ति या बोलीदाता द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा कंपनी की मुहर के साथ विधिवत प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।

3.1.5 बोली के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी भेजने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि बोलीदाता का पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर एवं की ई-मेल आईडी बोली मे होना चाहिए।

3.1.6 बोली प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा एवं किसी भी प्रपत्र या उससे जुड़े दस्तावेजों में कोई परिवर्तन या काँट-छाट (सभी रिक्त स्थानों को भरने के अलावा) नहीं किया जाएगा। संलग्न दस्तावेजों की प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन की प्रविष्टि केवल एक अलग कवरिंग लेटर द्वारा किया जाएगा अन्यथा बोली प्रक्रिया के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.1.7 बोली प्रक्रिया में बोलीदाता द्वारा अपनी भागीदारी के संबंध में दस्तावेजों के विवरण को विशेषाधिकृत एवं गोपनीय माना जाएगा।

3.1.8 ईसीजीसी किसी भी बोली या प्राप्त किसी अन्य बोली में से सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ईसीजीसी के पास निविदा दस्तावेज को फिर से जारी करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

3.1.9 बोलीदाता को यह सुनिश्चित करें कि उनकी बोली को इंगित करने के लिए कोई काँट-छाट, ओवर-राइटिंग एवं अस्पष्ट अथवा अपठनीय आंकड़े नहीं हैं। ऐसी सभी बोलियों को केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ईसीजीसी का निर्णय अंतिम एवं बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना है कि अस्पष्ट या निर्विवाद लागत/राशि बोली में शामिल नहीं है, जो बोली को अयोग्य घोषित कर देगी।

3.1.10 प्रत्येक बोलीदाता केवल एक तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकता है।

3.1.11 बोलीदाता को सहमत लागत एवं निबंधन एवं शर्तों पर अनुबंध की पूरी अवधि के लिए ईसीजीसी द्वारा वांछित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

3.1.12 आंशिक बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी एवं उन्हे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बोलीदाता(ओं) को सम्पूर्ण कार्य के लिए कोटेशन देना है।

3.1.13 समस्त दरें एवं कुल राशि अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए तथा यदि दोनों में कोई विसंगति हो तो न्यूनतम राशि ही स्वीकार की जायेगी।

3.1.14 अनुलग्नकों में कोई प्रश्न या मद खाली या अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा। जहां आपके पास कोई विवरण या उत्तर प्रदान करने के लिए 'नहीं' या 'शून्य' या 'लागू नहीं' कथन उपयुक्त के रूप में दिया जाएगा। खाली कॉलम या अहस्ताक्षरित फॉर्म वाले फॉर्म को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.1.15 वह बोलियाँ जो कि आर एफ़ टी की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करती उन पर ईसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि ईसीजीसी किसी भी समय आरएफ़टी की किसी भी आवश्यकता में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.1.16 ईसीजीसी द्वारा बोलियाँ बोली के आमंत्रण में निर्दिष्ट पते पर कार्यसूची में निर्दिष्ट समय व तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

3.1.17 ईसीजीसी डाक में देरी या छुट्टियों सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि पर बोलियाँ प्राप्त नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3.1.18 बोली जमा करने की निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। कोई बोली वापस नहीं की जाएगी।

3.1.19 ईसीजीसी, अपने विवेकाधिकार से, बोली दस्तावेज में उपयुक्त नियमों एवं शर्तों में संशोधन करके बोलियों को जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, ईसीजीसी एवं बोलीदाताओं के सभी अधिकार एवं दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद विस्तारित अवधि के अधीन होंगे। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को समय सीमा की सूचना ईसीजीसी की वेबसाइट पर दी जाएगी।

3.1.20 ईसीजीसी प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता (ओं) का कोई भी दायित्व स्वीकार किए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईसीजीसी द्वारा लिए गए सभी निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम हैं।

3.1.21 ईसीजीसी के पास आरएफटी की प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के बाद भी बोली में दी गयी सूचना की वैधता को जाँचने एवं जहां सामग्री गलत पाई जाती है, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.1.22 निम्नलिखित मामलों में बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है:

क. बोली आरएफटी एवं निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई
ख. बोली अपूर्ण प्रारूप में प्राप्त बोली;
ग. बोली सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं है;
घ. बोली निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होती है।

3.1.23 एक बार जमा की गई बोलियों को संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

3.1.24 बोलीदाता द्वारा अपनी बोली को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन किया जाएगा एवं ईसीजीसी किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम कुछ भी हों।

3.2. कार्य क्षेत्र

कार्य क्षेत्र **अनुलग्नक- 1** के अनुसार है:

3.3. ईसीजीसी के अधिकार:

i. ईसीजीसी न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ii. बोलियों को प्रोसेस करते समय**,** ईसीजीसी बिना कोई कारण बताए निविदा दस्तावेज़ या कार्य क्षेत्र में निहित किसी भी मद या भाग को हटाने या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii. यदि एक ही कीमत पर एक से अधिक फर्म बोली लगाते हैं, तो उनकी वित्तीय बोलियों को उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर रैंक किया जाएगा।

3.4. पेशेवर स्टाफ

चयनित बोलीदाता ईसीजीसी को **अनुलग्नक 2** के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रारूप में उन पेशेवर कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करेंगे जो सेवा अनुबंध / अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय परियोजना पर अपनी योग्यता एवं प्रासंगिक अनुभव के साथ कार्य करेंगे।

3.5. प्रश्न:

i. बोलीदाता(ओं) को दस्तावेज़ के किसी भाग या चयन प्रक्रिया के विषय में कोई संदेह/प्रश्न/आपत्ति होने की स्थिति में आरएफटी दस्तावेज़ जारी होने के 3 दिनों में **अनुलग्नक-3** में संलग्न प्रारूप के अनुसार आपत्ति दर्ज करेंगे। आरएफटी दस्तावेज के जारी होने के 3 दिनों की समय सीमा के बाद ईसीजीसी किसी भी संदेह/आपत्ति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण स्वीकार करने या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. सभी प्रश्नों को **अनुलग्नक -3** में दिए गए प्रारूप में प्रदान की गई ई-मेल आईडी accounts@ecgc.in के माध्यम से ही संप्रेषित किया जाएगा।

iii. ईसीजीसी लिखित रूप में ई-मेल/वेबसाइट के माध्यम से स्पष्टीकरण/संशोधन जारी करेगा एवं वह आरएफटी का हिस्सा होगा।

3.6. बोली प्रक्रिया

3.6.1. इच्छुक बोलीदाताओं को उनकी तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोलियां अलग-अलग सीलबंद एक बड़े सीलबंद गैर-विंडो लिफाफे में, जिस पर केवल 'माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के लिए कोटेशन' लिखा हो, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को समापन समय से पहले जमा करनी है।

3.6.2. बोली पर बोली लगाने वाले या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जो बोली लगाने वाले को अनुबंध के लिए बाध्य करने के लिए अधिकृत हैं। लिफाफा ईसीजीसी के नाम से अनुभाग 1.2 में दिये गए पते पर भेजा जाए; लिफाफे में निम्नलिखित क्रम में पूरी तरह से भरे हुए दस्तावेज होने चाहिए:

लिफाफा - 1

(i) अनुलग्नक-2: पेशेवर स्टाफ का विवरण

(ii) अनुलग्नक–5: अभिस्वीकृति;

(iii) अनुलग्नक–6: पात्रता के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विधिवत भरे हुए एवं लागू सहायक दस्तावेजों के लिए आवेदन का प्रारूप;

लिफाफा -2

(iv) अनुलग्नक – 4: वित्तीय बोली;

(v) अनुलग्नक – 8: बैंक की जानकारी ।

3.6.3. सभी लिफाफों पर बोली लगाने वाले का नाम एवं पता होना चाहिए।

ई सी जी सी ECGC

3.6.4. यदि लिफाफा मुहरबंद एवं चिह्नित नहीं है, तो ईसीजीसी की बोली के गुम होने या समय से पहले खुलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

3.6.5. कीमतों को केवल भारतीय रुपये में **अनुबंध - 4** के प्रारूप में कोट किया जाना है।

3.6.6. कोट किए गए मूल्य केंद्र/राज्य सरकार के सभी शुल्कों, करों (सेवा कर/जीएसटी सहित) को छोड़कर होने चाहिए।

3.6.7. बोलीदाता के अनुबंध निष्पादन के दौरान उनके द्वारा कोट किए गए मूल्य निर्धारित किए जाएंगे एवं अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित किसी भी प्रकार के बदलाव के अधीन नहीं होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकारों अथवा वैधानिक अथवा अर्ध-सरकारी निकायों अथवा नियामकों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर / शुल्क / लेवी / उपकर आदि वास्तविक के अनुसार लगाए जा सकते है। उक्त निर्दिष्ट अपवादों के अलावा समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली गैर- अनुक्रियाशील मानकर खारिज कर दिया जाएगा।

3.7. बोलियों की वैधता अवधि

3.7.1 अपने खुलने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के लिए बोलियां वैध रहेंगी। कोटेशन शुल्क अनुबंध अवधि के दौरान नियत रहेगा जब तक कि ईसीजीसी द्वारा सहमति न दी जाए उक्त अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा बोली के किसी भी निबंधन एवं शर्तों को रद्द अथवा बदला नहीं जा सकता हैं। बोली जमा करने के बाद किसी भी परिवर्तन के मामले में प्रस्ताव को "अस्वीकृत" माना जाएगा।

3.7.2 असाधारण परिस्थितियों में ईसीजीसी समान निबंधन एवं शर्तों के अधीन बोली की वैधता अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाता की सहमति से कर सकती है। किसी भी प्रकार का अनुरोध एवं उस पर प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी। इस बिंदु

पर, बोलीदाता किसी भी भावी आर एफ टी अथवा किसी डिबारमेंट से बहिष्करण के जोखिम के बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

3.7.3 आवश्यकता होने पर कंपनी के पास बोली की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नए कोटेशन मंगाने करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.8 बोलियों को खोलना एवं मूल्यांकन

3.8.1 ईसीजीसी द्वारा बोलियों को खोलना

3.8.1.1 आर एफ टी में निर्दिष्ट कटऑफ समय एवं तारीख के तुरंत बाद बोलियों को खोलने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है।

3.8.1.2 सभी बोलियां पूर्ण हैं की नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या बोलियां आवश्यक प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं एवं बोलियां आमतौर पर क्रम में हैं अथवा नहीं आदि की जांच कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.8.1.3 बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन से पहले कंपनी बोली दस्तावेज हेतु प्रत्येक प्रतिक्रिया का निर्धारण करेगी। बिना किसी विचलन के बोली दस्तावेज के सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप बोली ही एक उपयुक्त बोली है।

3.8.1.4 कंपनी द्वारा आगे विस्तृत मूल्यांकन के लिए केवल उन बोलीदाता एवं बोलियों को लिया जाएगा जो प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान आर एफ टी के पात्रता नियमों एवं शर्तों के अनुरूप पाए गए हैं।

3.8.1.5 बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं को **अनुलग्रक - 5** के अंतर्गत दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने लेटरहेड पर यह बयान देना होगा कि निविदा दस्तावेज़ के किसी भी भाग से कोई आपत्ति नहीं हैं।

3.8.1.6 किसी भी बोलीदाता द्वारा अपनी बोली से संबंधित किसी भी मामले में वित्तीय बोली खोलने के समय से लेकर अनुबंध दिए जाने तक ईसीजीसी से संपर्क नहीं किया जा सकेगा।

3.8.1.7 बोलीदाता द्वारा बोली मूल्यांकन, बोली तुलना अथवा अनुबंध पर अपने निर्णयों में ईसीजीसी को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर ईसीजीसी के साथ भविष्य में किसी भी आर एफ टी / अनुबंध / व्यापार पर रोक लगाया जा सकता है।

भाग - 4

निविदा प्रदान करना

तकनीकी दौर में अर्हता प्राप्त कर वित्तीय दौर में सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता को अनुबंध सौपा जाएगा। हालांकि, ईसीजीसी सबसे कम अथवा प्राप्त किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकारी होगा। सफल बोलीदाता को लिखित रूप में, पत्र अथवा ई-मेल के माध्यम से इसजीसी द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि उनकी बोली स्वीकार कर ली गई है। चयनित बोलीदाता को पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर संदर्भित पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित डुप्लिकेट प्रति लौटाकर अनुबंध के स्वीकृति से अवगत कराना होगा। यदि एक ही कीमत पर एक से अधिक फर्म बोली लगाते हैं तो उनकी वित्तीय बोलियों को उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर रैंक किया जाएगा, जो पूरी तरह से ईसीजीसी द्वारा तय किया जाएगा। यदि चयनित बोलीदाता अनुबंध को स्वीकार करने में विफल रहता है तो बोलीदाता (बोलीदाता के अलावा जो अनुबंध स्वीकार करने में विफल रहा है) के बीच अगली सबसे कम वित्तीय बोली रखने वाले बोलीदाता को अनुबंध के लिए विचार किया जाएगा। सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा, जो इस आर एफ टी दस्तावेज़ में उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगा। उक्त का प्रारूप **अनुलग्नक - 7** में संलग्न है। ईसीजीसी के पास उस पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले उक्त मसौदा समझौते में निर्धारित सभी अथवा किन्हीं शर्तों को परिवर्तित /बदलाव /सुधार / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

भाग - 5

अनुबंध के निबंधन एवं शर्तें (टीसीसी)
जैसा कि **अनुलग्नक 7** में सेवा अनुबंध के मसौदे में निर्धारित हैं ।

ई सी जी सी ECGC

भाग - 6 अनुलग्नक

1. अनुलग्नक 1: कार्य का क्षेत्र
2. अनुलग्नक 2: पेशेवर कर्मचारियों का विवरण
3. अनुलग्नक 3: प्रश्न
4. अनुलग्नक 4: वित्तीय बोली प्रारूप
5. अनुलग्नक 5: अभिस्वीकृति
6. अनुलग्नक 6: आवेदन का प्रारूप
7. अनुलग्नक 7: सेवा अनुबंध प्रारूप
8. अनुलग्नक 8: बैंक विवरण
9. अनुलग्नक 9: पात्रता मानदंड

अनुलग्नक-1

कार्य का क्षेत्र

1.कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) विवरणी दाखिल करना एवं विवरणी भरने के लिए दिए गए विवरणों की समीक्षा करना:- मासिक विवरणी अर्थात GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-7 एवं सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के अनुसार लागू कोई अन्य विवरणी दाखिल करना। विवरणियों में समावेश / बहिष्करण हेतु जाँच एवं समीक्षा के लिए ईसीजीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण डेटा की समीक्षा करना।

ख) वार्षिक संकलन एवं समीक्षा:- वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए डेटा की जांच एवं समीक्षा करना अर्थात GSTR-9, GSTR-9C एवं सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के अनुसार लागू कोई अन्य विवरणी दाखिल करना।

ग) कर मामलों / प्रश्नों से संबंधित नियमित सलाहकार सेवाएं:- आवश्यक होने पर कर अधिकारियों / कैग / सांविधिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जी एस टी से संबंधित विभिन्न मामलों पर लिखित राय प्रदान करना।

ई सी जी सी ECGC

घ) गैर-नियमित एवं महत्वपूर्ण मामलों / लेनदेन करने वाले संस्थाओं के संचालन का पुनर्गठन, नई शाखाएं स्थापित करना आदि पर सलाह देना।

ङ) जी एस टी कानून के अंतर्गत कटौतियों एवं छूटों की जांच तथा गणना करना।

च) मासिक आधार पर जी एस टी से संबंधित रिकॉर्ड एवं रिटर्न का सत्यापन करना।

छ) देय कर एवं करों के भुगतान के संबंध में सलाह देना।

ज) बजटीय परिवर्तनों एवं कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।

झ) कर अधिकारियों / कैग / सांविधिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों को विभिन्न समाधान विवरण / डेटा तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में सहायता करना।

ञ) जी एस टी अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए ऐसे प्रश्नों की सूचना के 5 कार्य दिवसों के भीतर प्रारूप तैयार कर जवाब दाखिल करना।

ट) जी एस टी के नियमित मामलों का निपटान अथवा संबंधित विभाग से संपर्क करना।

<u>नोट:</u>

उक्त अनुबंध वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू होकर 3 (तीन) वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

2. चयनित बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित कार्य को उनके द्वारा पूर्ण सावधानी एवं प्रचलित व्यवसायिक मानकों के अनुसार किया जाएगा ।

3. चयनित बोलीदाता क्रियाशीलता के लिए आवश्यक सेवाओं हेतु जवाबदेह एवं जिम्मेदार होगा तथा किसी प्रकार का बहाना नहीं होगा कि चयनित बोलीदाता के स्टाफ / कर्मचारी / कार्मिक अथवा प्रमुख व्यक्ति ने गलती की है अथवा इस आर एफ टी के अनुसार या किसी अन्य कारण से परियोजना की निरंतरता के दौरान बोलीदाता का साथ छोड़ दिया है।

अनुलग्नक -2

पेशेवर कर्मियों का विवरण

परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले पेशेवर कर्मियों का विवरण
(परियोजना में शामिल होने की संभावना वाले प्रत्येक कर्मी सदस्य के लिए अलग शीट)

1. व्यक्ति का नाम:
2. ई-मेल आईडी:
3. कार्यालय का दूरभाष नं. :
4. मोबाइल नं :
5. कंपनी/फर्म में कार्यग्रहण करने की तिथि:
6. व्यावसायिक योग्यता:

क्र. सं.	**शैक्षिणिक योग्यता**	**उस संगठन में की गई सेवाओं का संक्षिप्त विवरण जहां कार्यभार सौपा गया था**	**अवधि से-तक**
01			
02			
03			
04			

7. अनुभव:

अनुलग्नक-3

प्रश्न प्रारूप

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम	पृष्ठ संख्या (निविदा के संदर्भ में)	भाग (निविदा के संदर्भ में)	निविदा में विवरण (निविदा के संदर्भ में)	प्रश्न
1					
2					

नोट: केवल प्रदान की गई ई-मेल आईडी accounts@ecgc.in के माध्यम से ही प्रश्नों को संप्रेषित किया जा सकता है, प्रश्नों के उत्तर ईसीजीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे अथवा संबंधित बोलीदाता को ईमेल किए जाएंगे। दूरभाष अथवा ई-मेल के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों को उपरोक्त .xls/.xlsx प्रारूप में भेजा जाएगा।

ई सी जी सी ECGC

अनुलग्नक-4

मूल्य / वित्तीय बोली प्रारूप

माल और सेवा कर (जी एस टी) हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए मूल्य/वाणिज्यिक बोली

(उपरोक्त के अनुसार **सीलबंद लिफाफे** में जमा करना होगा)

कंपनी का नाम
पता :
संपर्क व्यक्ति :
दूरभाष नंबर:
ई मेल:
वेबसाइट:

हम प्रस्तावित कार्य के लिए अपनी मूल्य / वाणिज्यिक बोली (शुल्क निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

निबंधन एवं शर्तें:

1) प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए शुल्क मासिक / वार्षिक आधार पर कोटेशन किया जाना चाहिए तथा करों का उल्लेख अलग से किए जाए।

2) विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क अलग-अलग होने पर कृपया अलग-अलग बिंदुओं में इसका उल्लेख करें

3) हम प्रस्ताव / समझौते में परिकल्पित सभी डिलिवरेबल्स वितरित करने एवं आर एफ टी दस्तावेज़ में निर्धारित समय सीमा के भीतर असाइनमेंट पूरा करने का वचन देते हैं

4) ईसीजीसी द्वारा भुगतान जारी करते समय कर (टी डी एस) सहित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी लागू कर, लेवी, उपकर आदि की कटौती की जाएगी।

5) ईसीजीसी के पास सफल बोलीदाता के साथ मोल-भाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

6) शुल्क भारतीय रुपये में एवं केवल दो दशमलव बिंदुओं में कोटेशन किया जाना चाहिए।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:
पदनाम:
मोबाइल सं. :
ई-मेल आईडी:
मुहर:

ई सी जी सी ECGC

अनुलग्नक – 5

अभिस्वीकृति

दिनांक :

प्रति,
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
ईसीजीसी लिमिटेड,
निर्मल भवन, 5 वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400021

महोदय/महोदया,

विषय : माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के लिए निविदा के अनुरोध पर प्रतिक्रिया

1. हम, अधोहस्ताक्षरी, अनुबंध सहित निविदा दस्तावेज जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की जाती है, के लिए अनुरोध को देखने के बाद, आर एफ टी दस्तावेज में बताए गए कार्य के दायरे के अनुसार बोली में बताई गई लागत के भीतर सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं।

2. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम इस आर एफ टी के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

3. हम प्रमाणित करते हैं कि हमने निर्धारित प्रारूप में ईसीजीसी द्वारा अनुरोधित सभी जानकारी प्रदान की है। हम यह भी समझते हैं कि ईसीजीसी को, यदि लगता है कि आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई है या किसी अन्य प्रारूप में मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि वह उचित समझे, इस बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है । ईसीजीसी का निर्णय अंतिम एवं हम पर बाध्यकारी होगा।

इ सी जी सी ECGC

4. हम सहमत हैं कि ईसीजीसी निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इस आर एफ टी दस्तावेज़ एवं कोई भी संशोधन करने, इसे रद्द करने या फिर से जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. . हम सहमत हैं कि हमें इस निविदा दस्तावेज के किसी भी भाग एवं बोली प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है।

....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(मुहर)

नाम :

पदनाम :

संपर्क (मोबाइल) : ईमेल आई डी :

ई सी जी सी ECGC

अनुलग्नक – 6

आवेदन का प्रारूप

ईसीजीसी लिमिटेड

सी आई एन : यू74999एम एच1957जीओआई010918, आई आर डी ए पंजीकरण संख्या - 124

माल और सेवा कर (जी एस टी) के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के लिए सलाहकार के चयन के लिए आवेदन प्रारूप

क्रसं	*विवरण*	
1	फर्म का नाम एवं पता	
2	क. क्या आई सी ए आई में पंजीकृत है ख. पंजीकरण संख्या	
3	भागीदारों के नाम, सदस्यता संख्या, पात्रता एवं अनुभव	
4	क्या फर्म अथवा फर्म के किसी भी भागीदार को IRDA, RBI, SEBI, ICAI आदि सहित किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध / वर्जित किया गया है,	
5	अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर/जी एस टी) में प्रदान किए गए परामर्श का विवरण	
	क. फर्म /कंपनियों की संख्या ख. कंपनी का नाम ग. कार्यालय & स्थान के प्रकार का उल्लेख करें घ. किस अवधि के लिए सेवाएं प्रदान की गईं	
6	अन्य कोई आवश्यक जानकारी	

कृपया नियुक्ति पत्र संलग्न करें जिसमें उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित अनुबंधों के समर्थन में प्रदान की गई सेवाओं का दायरा शामिल है।

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त सूचना हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

हम एतदद्वारा सहमत एवं वचनबद्ध हैं कि हमने प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के जरिए, किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, ईसीजीसी के किसी कर्मचारी जो कि बोली/प्रस्ताव की प्रक्रिया एवं/अथवा अनुमोदन में शामिल है को अथवा किसी तीसरे पक्ष को, प्रस्ताव के पूर्व अथवा प्रक्रिया के दौरान अथवा प्रक्रिया के बाद एवं/अथवा हमारे प्रस्ताव/बोली के अनुमोदन के बाद, कोई भी ऐसी वस्तु अथवा अन्य कोई लाभ, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, प्रदान करने की पेशकश, वादा अथवा प्रदान नहीं किया है न ही हम पेशकश, वादा अथवा प्रदान करेंगे।

ई सी जी सी ECGC

स्थान : मुहर एवं सदस्यता संख्या के साथ हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुलग्नक – 7

सेवा अनुबंध प्रारूप

यह सेवा अनुबंध (इसके बाद "अनुबंध" के रूप में संदर्भित) पर [•] दिन [•] दो हजार बाईस [___/[___]/2022) को,

ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 (इसके बाद "**कंपनी**" के रूप में संदर्भित है, इस शब्द में , जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो एवं इसके उत्तराधिकार हित एवं अनुमत समनुदेशिति शामिल हैं), एक पक्ष

एवं

मेसर्स **.............................** जो कि एक कंपनी/फर्म/भागीदारी फ़र्म है 400021 (इसके बाद "**सेवा प्रदाता** " के रूप में संदर्भित है, इस शब्द में , जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो एवं इसके उत्तराधिकार हित एवं अनुमत समनुदेशिति शामिल हैं) जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया में पंजीकरण संख्या ....के साथ पंजीकृत है**,** अन्य पक्ष

द्वारा एवं के मध्य तैयार किया गया एवं हस्ताक्षरित है।

कंपनी एवं सेवा प्रदाता को इसके बाद संयुक्त रूप से “पक्षों” एवं एकल रूप से “पक्ष” के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जहां कि :

1. कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय निर्यातकों एवं बैंकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत हुई है;
2. सेवा प्रदाता, अन्य बातों के साथ-साथ, माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में शामिल है।

3. कंपनी द्वारा संदर्भ: **ईसीजीसी/निविदा-01/एसीसी-01/2022-23** के अंतर्गत निविदा के लिए अनुरोध जारी किया है (इसके बाद "उक्त आरएफटी" के रूप में संदर्भित)

4. सेवा प्रदाता उक्त आरएफटी में सफल बोलीदाता है एवं कंपनी द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया है एवं सेवा प्रदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है, क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल एवं कर्मी उपलब्ध हैं।

इसलिए, अब इस समझौते में निर्धारित पारस्परिक अनुबंधों, नियमों एवं शर्तों एवं समझ को ध्यान में रखते हुए, कानूनी रूप से बाध्य होने के उद्देश्य से दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएँ :

इस अनुबंध में, निम्नलिखित बिन्दुओं को निम्न के रूप में परिभाषित किया जाएगा:

i. "सेवा प्रदाता" सफल बोलीदाता है जिसकी पात्रता बोली स्वीकार कर ली गई है एवं जो उसकी वित्तीय बोली के अनुसार एल1 था एवं जिसे ईसीजीसी द्वारा अधिनिर्णय की अधिसूचना दी गई है।

ii. "सेवाओं" का अर्थ उन सेवाओं का दायरा है जो सेवा प्रदाता को अनुबंध के तहत ईसीजीसी को प्रदान करने की आवश्यकता है।

iii. "अनुबंध" का अर्थ है ईसीजीसी एवं सेवा प्रदाता के बीच किया गया एवं पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता है जिसमें सभी संलग्नक एवं अनुबंध एवं उससे संदर्भित सभी दस्तावेज शामिल हैं;

iv. "अनुबंध मूल्य" का अर्थ अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता को उसके संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण एवं उचित प्रदर्शन के लिए देय मूल्य है;

v. “TCC” का अर्थ निविदा की निबंधन एवं शर्ते हैं ;

vi. "परियोजना/कार्य" का अर्थ माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।

vii. "परियोजना स्थल" का अर्थ है ईसीजीसी के निर्दिष्ट स्थान जैसा कि आरएफटी में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

viii. गोपनीय जानकारी का अर्थ कंपनी की सभी जानकारी जो मौखिक या लिखित या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेवा प्रदाता को प्रकट की जाती है एवं इसमें, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, व्यापार रहस्य, जानकारी, तकनीक, प्रक्रियाएं, योजनाएं, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, व्यवसाय के तरीके, ग्राहक सूचियाँ, संपर्क, वित्तीय जानकारी, बिक्री एवं विपणन योजना तकनीक, योजनाबद्ध, डिज़ाइन, अनुबंध, वित्तीय जानकारी, बिक्री एवं विपणन योजनाएँ, व्यवसाय योजनाएँ, ग्राहक, ग्राहक डेटा, व्यावसायिक मामले, संचालन , रणनीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, प्रौद्योगिकियाँ, कर्मचारी, उपठेकेदार, किसी भी एवं सभी अनुबंधों की सामग्री, सदस्यता सूची, फ़ोटो फ़ाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध कोटेशन, दस्तावेज़, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, पुस्तकें, रिकॉर्ड, फ़ाइलें एवं टैक्स रिटर्न , डेटा, सांख्यिकी, तथ्य, आंकड़े, संख्याएं, रिकॉर्ड, नियोजित पेशेवर, पेशेवरों के साथ किए गए एवं उनसे प्राप्त किए गए पत्राचार जैसे एडवोकेट, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, अटॉर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, ऑडिटर, सर्वेयर, लॉस असेसर्स, इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक विशेषज्ञ, राय, रिपोर्ट आदि, सभी मामले विशेषाधिकार प्राप्त

संचार के दायरे में आने वाले जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत परिभाषित भेजे गए एवं प्राप्त किए गए कानूनी नोटिस, पॉलिसी फाइलें, दावा फाइलें, बीमा पॉलिसियां, उनकी दरें, लाभ, नियम, शर्तें, बहिष्करण, शुल्क, ग्राहकों / ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों से और उनके साथ पत्राचार, प्रस्ताव फॉर्म, दावा-फॉर्म, शिकायतें, सूट, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावा-नोट्स, कानून के न्यायालय, न्यायिक फोरम, अर्ध-न्यायिक निकायों, या किसी प्राधिकरण, आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्तावों, संचालन के तरीकों, प्रक्रियाओं, उत्पादों के समक्ष बचाव एवं/या कंपनी की सेवाएं एवं व्यावसायिक जानकारी आदि शामिल हैं ।

2. नियुक्ति एवं सेवाओं का दायरा

2.1. कंपनी एतद्द्वारा सेवा प्रदाता को दिनांक ------------------ ("प्रभावी तिथि") से तीन वर्ष की अवधि के लिए ---------- तक 'अनुलग्नक -1 के अनुसार **कार्य के क्षेत्र'** के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित 'सेवाएं' प्रदान करने के लिए नियुक्त करती है एवं सेवा प्रदाता एतद्द्वारा नीचे निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

ई सी जी सी ECGC

2.2. सेवा प्रदाता, एक स्वतंत्र निविदाकार के रूप में कार्य करते हुए, समय-समय पर संशोधित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, समय-समय पर संशोधित एवं केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, समय-समय पर संशोधित द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार सेवा ("सेवाएं") एवं डिलिवरेबल्स ("डिलिवरेबल्स") प्रदान करेगा ।

3. भुगतान की शर्तें

3.1. सेवाओं के लिए देय शुल्क कार्य के दायरे के अनुसार सौंपे गए कार्य के पूरा होने के अनुसार होगा, जैसा कि दिनांक...... के ई-मेल / पत्र द्वारा निविदा जारी करने के बारे में सूचित किया गया है के अनुसार होगा।

3.2. भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा।

3.3. आरएफटी प्रतिक्रिया में अनुबंध -8 के तहत दिए गए फॉर्म के अनुसार, केवल निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

3.4. निविदा प्रदान करते समय कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

3.5. ईसीजीसी लिमिटेड के लिए संतोषजनक रूप से कार्य के दायरे को पूरा होने के बाद, सेवा प्रदाता से इन्वाइस प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा।

3.6. यह नोट किया जाए कि ईसीजीसी अनुबंध के अनुसार सहमत राशि के अलावा किसी भी राशि / व्यय / शुल्क / शुल्क / यात्रा व्यय / बोर्डिंग व्यय / आवास व्यय / वाहन व्यय / विविध व्यय / जेब खर्च का भुगतान नहीं करेगा।

3.7. भुगतान के समय प्रचलित कर नियमों के अनुसार सभी भुगतान टीडीएस एवं अन्य करों के अधीन होंगे।

3.8. सभी भुगतान संबंधित सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी को इन्वाइस प्रस्तुत करने पर किए जाएंगे ।

3.9. प्रदान की गई सेवाओं एवं बाद में मासिक/तिमाही आधार पर प्रस्तुत बिल के अनुसार भुगतान जारी किया जाएगा।

ईसीजीसी ECGC

4. सेवा प्रदाता के दायित्व

4.1. सेवा प्रदाता इसके लिए उत्तरदायी होगा:

4.1.1. इसके तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रासंगिक **कार्य क्षेत्र** में निर्दिष्ट प्रकार एवं गुणवत्ता प्रदान करना।

4.1.2. सेवाओं के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों, निर्देशों, मैनुअल, जांच सूचियों, प्रक्रियाओं, आगे की विशिष्टताओं एवं आवश्यकताओं ("दिशानिर्देश") का अनुपालन करना, जैसा कि कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, यदि दिशा-निर्देशों एवं

अनुबंध में निर्धारित शर्तों के बीच कोई मतभेद होता है, तो अनुबंध में निर्धारित शर्तें मान्य होंगी;

4.1.3. सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के परिसर में तैनात स्टाफ/कर्मचारियों/व्यक्ति (यदि कोई हो) का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना; एवं

4.1.4. सेवाएं प्रदान करने के दौरान सभी लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करना।

4.1.5. **कार्य के क्षेत्र** में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई अन्य दायित्व.

5. कंपनी का दायित्व

5.1. अपनी ओर से कंपनी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :-

5.1.1. **संबन्धित कार्य क्षेत्र** में निर्धारित आवश्यक जानकारी, दस्तावेज, आपूर्ति एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए सेवाओं के सुपुर्दगी हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना।

5.1.2. कंपनी के परिसर में तैनात सेवा प्रदाता के कर्मियों एवं सेवा प्रदाता के उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

5.1.3. सेवा प्रदाता की सेवाएँ प्राप्त करने के दौरान उसकी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करना;

5.1.4. सेवा प्रदाता को कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु अन्य सभी आवश्यक सामान्य कार्यों का निष्पादन।

6. सेवा सुपुर्दगी स्थल

ऊपर उल्लिखित अनुसार, ईसीजीसी लिमिटेड, निर्मल बिल्डिंग 5वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400021 में सेवाएँ प्रदान करना प्रमुख कार्यक्षेत्र में शामिल है । सेवा प्रदाता की टीम को ईसीजीसी की आवश्यकता के अनुसार एवं कार्य सीमा के अनुसार बैठकों / चर्चाओं / प्रस्तुतियों के लिए ईसीजीसी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

7. बौद्धिक सम्पदा

7.1. ग्राहक/कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी मैनुअल, दिशानिर्देश, दस्तावेज आदि को सेवा प्रदाता द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में सुरक्षित रखा जाना होगा ।

7.2. सेवा प्रदाता द्वारा इस समझौते के अधीन विकसित अथवा आपूर्ति किए गए अथवा सुपुर्दीगियों में शामिल कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं, तकनीकों, विचारों, अवधारणाओं आदि में बौद्धिक अधिकारों सहित सभी अधिकार, शीर्षक, रुचि को स्वयं के पास सुरक्षित रखा जाएगा।

7.3. सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी में अपनी कार्यावधि के दौरान रिपोर्ट, दस्तावेज एवं अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री आदि प्रदान करेगा एवं ऐसी रिपोर्टों , दस्तावेजों तथा अन्य सभी संबन्धित सामग्री, वस्तुओं आदि के रूप में उपलब्ध सभी आई पी आर का स्वामित्व कंपनी के पास होगा। इससे संबंधित सभी दस्तावेज़ों को बोलीकर्ता द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में मानकर संभाला जाये।

7.4. एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डिलिवरेबल्स में कंपनी का कोई भी पूर्व उपलब्ध बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल किया जाता है तो उसके अधिकार कंपनी के पास बने रहेंगे।

7.5. किसी भी पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी अन्य पार्टी का ट्रेड मार्क, ट्रेड नाम, सेवा चिह्न एवं लोगो का किसी भी प्रकार से उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अन्य पार्टी द्वारा उसे लिखित रूप से इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गयी हो।

8. अप्रकटन :

8.1. कंपनी के पास हर प्रकार की गोपनीय जानकारी का स्वामित्व होगा।

8.2. सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल सेवा संविदा के भाग के रूप में एवं सेवा संविदा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

8.3. सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी कोई भी गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कंपनी अथवा उसकी सहयोगी संस्थानों अथवा शाखाओं पर पड़े एवं गोपनीय जानकारी को किसी अप्राधिकृत तीसरी पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी को सिवाय कंपनी के कर्मियों एवं परामर्शदाताओं, जिन्हें इस समझौते में उल्लिखित अनुसार प्रतिबंधित रूप से लिखित रूप में प्रकटन के पूर्व इस प्रकार की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की अनुमति हो, को आवश्यकता अनुरूप जानकारी प्रदान करने के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। इस संबंध में, यदि सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों के साथ यदि किसी प्रकार का समझौता किया जाता है तो उसे तत्काल इस विषय में कंपनी को सूचित करना होगा। इस प्रकार के व्यक्ति/ व्यक्तियों के समक्ष गोपनीय जानकारी को प्रकट करने के पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा संबन्धित दस्तावेज़ों की गोपनीय प्रकृति के संबंध में संबन्धित पार्टी को पूर्व सूचना देनी होगी एवं उन्हें यह भी सूचित करना होगा कि इस प्रकार की गोपनीय जानकारी को किसी अन्य के समक्ष प्रकट करने को टालें।

8.4. सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वह स्वयं अपनी गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखता है, एवं उसके द्वारा इसकी सुरक्षा हेतु सभी उपाय किए जाएँगे ताकि उसके किसी भी प्रकार के अप्राधिकृत अथवा अनावश्यक उपयोग को टाला जा सके।

9. क्षतिपूर्ति एवं देयता की सीमा

9.1. चूककर्ता पक्ष द्वारा इस समझौते के उल्लंघन, चूककर्ता पक्ष अथवा किसी पार्टी अथवा उसके किसी कर्मी अथवा की लापरवाही या जानबूझ कर किए गए कदाचार से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी एवं सभी देयता, हानियों, लागतों एवं व्ययों (वकील के शुल्क सहित) की क्षतिपूर्ति की जाएगी एवं बचाव किया जाएगा तथा कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। हालांकि, कोई भी पक्ष अन्य पक्ष अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा अन्य पक्ष की ओर से सौंपी गयी कोई भी जानकारी अथवा सामग्री पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अथवा दूसरे पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की ओर से कोई तीसरा पक्ष , किसी भी जानकारी अथवा सामग्री में किसी भी अशुद्धि अथवा अन्य दोष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9.2. इसमें उल्लिखित किसी के होते हुए, संबन्धित समझौते के शर्तों के अनुकरण में चाहे जो भी हो, चाहे समझौते के अधीन हो अथवा शर्तों के कारण उत्पन्न हो अथवा इस प्रकार की किसी संभावना के विषय में भले ही पहले ही उसे किसी के द्वारा सलाह प्राप्त हुई हो के बावजूद, किसी भी पार्टी अथवा किसी तीसरी पार्टी को हुई कारोबार, लाभ, जानकारी, कारोबार व्यवधान एवं इसी प्रकार की हानि सहित किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा प्रासांगिक, परिणामी, विशेष अथवा किसी अपकृत्य से उत्पन्न किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9.3. इस समझौते के अधीन गोपनीयता के उल्लंघन एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के अवहेलना को छोड़कर, इस समझौते के अधीन उत्पन्न किसी भी क्षति, हानि, लागत, देयताओं के लिए किसी भी पार्टी की कुल देयता चाहे वह संविदा के अधीन हो अथवा किसी प्रकार के अपकृत्य अथवा किसी अन्य कारण से हो , इस समझौते के अधीन कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को अदा की गयी कुल शुल्क से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.4. ईसीजीसी को सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि उसके द्वारा प्रमुख गतिविधियों से संबन्धित क्षेत्रों में ईसीजीसी की सूचना सुरक्षा नीतियों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है एवं व्यापक क्षेत्रों में शामिल कार्य निम्नानुसार हैं :-

i. डेटा एवं निजता एवं गोपनियता के उपयोग की जिम्मेदार।

ii. सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर के उपयोग नियंत्रण एवं प्रशासन पर ज़िम्मेदारी

iii. सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित अथवा उसे सौंपे गए कंपनी के डेटा, सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर एवं अन्य परिसंपत्तियों के लिए अभिरक्षा संबंधी उत्तरदायित्व।

iv. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए की गयी सेवाओं / उपकरणों की भौतिक सुरक्षा।

9.5. सेवा प्रदाता को विभिन्न विधियों, श्रम कानूनों, स्थानीय निकाय नियमों, राज्य एवं केंद्र सरकार निकाय विधियों, तथा सेवा प्रदाता पर लागू किसी भी अन्य विनियामक आवश्यकताओं के जरिये लागू वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने की भी आवश्यकता होगी, एवं उसे ईसीजीसी तथा / अथवा इसके लेखापरीक्षकों तथा / अथवा इसके नियामक के रिकॉर्ड के लिए भी प्रस्तुत करना होगा।

9.6. **देयता की सीमा**

इस समझौते / सेवा अनुबंध के संबंध में, बोलीकर्ता अथवा ईसीजीसी की कुल देयता, कार्य दस्तावेज़ की विशिष्ट सीमा के लिए बोलीकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, इस तरह की देयता से उत्पन्न कार्रवाई अथवा प्रकृति चाहे कुछ भी हो (चाहे अनुबंध, अपकृत्य अथवा अन्यथा) से उत्पन्न देयताओं सहित एवं किसी भी अथवा सभी देयता सहित समग्र बोली राशि होगी।

10. वॉरंटी एवं वॉरंटी अस्वीकरण

10.1. सेवा प्रदाता एतद्द्वारा वारंट करता है कि सेवा प्रदाता **कार्य की सीमा** के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा एवं इसके दौरान, यह व्यावसायिक क्षमता, सावधानी, कौशल, परिश्रम एवं विवेक का उसी प्रकार प्रयोग करेगा जिस प्रकार कि सेवा प्रदाता के क्षेत्र में सामान्य तौर पर व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है।

11. समापन

11.1. इस समझौते की अवधि 3 वर्षों की होगी।

11.2. इस अनुबंध अथवा सेवा समझौते के अधीन दायित्वों से संबन्धित किसी दस्तावेज़ के अधीन किसी भी प्रकार के उल्लंघन (महत्वपूर्ण प्रकृति के) के मामले में कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता को कंपनी के संतोष के अनुसार उल्लंघन में सुधार हेतु अधिकतम 7 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि उल्लंघन में सुधार से कंपनी संतुष्ट नहीं हुई तो कंपनी को अधिकार है कि वह अनुबंध समाप्त कर दे।

12. ईसीजीसी के छुट्टी के दिन कार्य

आवश्यकता पड़ने पर शनिवार / रविवार / छुट्टियों के दिन कार्य करने हेतु छुट्टी की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर संबन्धित स्थल प्रमुखों से अनुमति हेतु आवेदन करना होगा। सेवा प्रदाता को संबन्धित कार्यालय में अपने टीम सदस्य के विवरण अग्रिम रूप में भेजने होंगे। टीम सदस्य द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय को संबन्धित स्थल में उपस्थित होने पर अपना पहचान पत्र / अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

13. विविध प्रावधान

13.1. पार्टियों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि अनुबंध, निविदा के लिए अनुरोध (आरएफटी) दस्तावेज़, उसके बाद जारी किया गया कोई भी परिशिष्ट अथवा शुद्धिपत्र एवं उसके पूर्ण अनुलग्नक, पार्टियों के बीच संपूर्ण अनुबंध का गठन करेंगे।

13.2. सभी नोटिस, अनुरोध, मांग अथवा अन्य संचार जो इस समझौते की शर्तों के अनुसार दिए जाने आवश्यक हैं, को तब ही प्राप्य माना जाएगा जब वे लिखित रूप में

उपर्युक्त पते पर संबोधित किए गए हों एवं प्राप्त किए गए हों। उक्त निर्धारित अनुसार नोटिस इस समझौते में उल्लिखित अनुसार भेजे जाने चाहिए अथवा समय समय पर आपसी सहमति से मंजूर अन्य पतों अथवा व्यक्ति(यों) को संबोधित किए जाने चाहिए।

13.3. सेवा प्रदाता को स्वीकार्य है एवं वह वचन देता है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा किसी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा तीसरे पक्ष के जरिये हमारे प्रस्ताव/ बिड / बोली / टेंडर / अनुबंध की प्रक्रिया तथा / अनुमोदन के पूर्व अथवा उसके दौरान इसमें शामिल ईसीजीसी के किसी भी कर्मी को किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के एवज में ऐसी कोई सुविधा एवं वस्तु उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव नहीं किया है अथवा उपलब्ध नहीं करवाया है जिसका वह कानूनी रूप से हकदार न हो।

13.4. इस समझौते की अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात एक वर्ष के लिए दोनों ही पक्षों द्वारा न तो पार्टी के किसी भी कर्मी को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार के लिए आग्रह, प्रोत्साहन अथवा आग्रह करने का प्रयास तब तक नहीं करेगा, जब तक कि दूसरे पक्ष से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न हो; बशर्ते कि यह उन कर्मियों पर लागू नहीं होगी जिन्होने, इस प्रकार के कर्मियों को लक्षित कर जारी किए गए सामान्य रूप से इंटरनेट अथवा अन्य विज्ञापनों पर आवेदन किया हो।

13.5. कंपनी एवं सेवा प्रदाता के बीच संबंध पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र ठेकेदार का है तथा यह संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर है। इस समझौते में शामिल शर्तें एवं इसके अधीन पक्षों के बीच होने वाले किसी भी तरह के व्यवहार का अर्थ रोजगार

का निर्माण अथवा एजेंसी संबंध अथवा किसी पक्ष एवं दूसरे पक्ष अथवा अन्य पक्ष के कर्मियों अथवा ग्राहकों अथवा एजेंटों के बीच साझेदारी निर्मित करना नहीं होगा।

13.6. इस समझौते को किसी अन्य पार्टी को तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक दूसरी पार्टी से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता।

13.7. यदि इस समझौते के कोई भी प्रावधान अवैध, अविधिक अथवा लागू न करने योग्य निर्धारित होते हैं तो, ऐसे प्रावधानों को समझौते से हटाया जाएगा एवं शेष प्रावधान पूर्व रूप से प्रभावी एवं लागू रहेंगे।

13.8. इसके अधीन किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में किए गए विलंब को उसकी छूट नहीं माना जाएगा, एवं न ही इस प्रकार के किसी कार्य से उसके अन्य कार्य रोके जाएँगे।

13.9. समझौते का समापन अथवा समझौते को रद्द किए जाने से, दोनों ही पक्ष इस समझौते की प्रकृति एवं उसके कारण उत्पन्न उनकी निष्पादन से संबन्धित देयताओं एवं दायित्वों से दोनों पक्ष मुक्त नहीं होंगे एवं इस प्रकार के समापन एवं रद्दीकरण के पश्चात भी उन्हें पूरा करना होगा।

13.10. संबन्धित आरएफटी, बोलियां एवं अन्य अनुलग्नक जो संबन्धित विषय वस्तु के लिए दोनों पक्षों के बीच समग्र समझौता गठित करेंगे एवं जो इसके पूर्व दोनों पक्षों के बीच हुए किसी भी पूर्व के प्रस्तावों, वचनों, समव्यवहारों अथवा अन्य दस्तावेजी आदान प्रदान के स्थान पर होंगे। दोनों पक्षों द्वारा इस समझौते को केवल लिखित रूप में ही संशोधित किया जा सकता है।

13.11. आरएफटी, तत्पश्चात किए गए अनुबंध अथवा अनुबंध के निबंधनों व शर्तों के संबंध में अथवा उससे संबंधित अथवा किसी भी प्रकार के मतभेदों के किसी भी विवाद

के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए निर्णय केवल मुंबई स्थित न्यायालयों में ही किया जाना होगा।

13.12. **अप्रत्याशित घटना** :

अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के प्रावधानों के व्यतिरेक सेवा प्रदाता किसी भी किसी भी प्रकार की क्षति, अथवा चूक हेतु समझौते के अधीन निर्धारित सीमा के परे किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो अप्रत्याशित घटना के कारण संविदा के अधीन उसके निष्पादन को प्रभावित करें अथवा उसके कर्तव्यों की पूर्ति को प्रभावित करे।

"अप्रत्याशित घटना" की इस शर्त का तात्पर्य उस घटना से है जो सेवा प्रदाता के नियंत्रण के परे हो एवं जिसमें सेवा प्रदाता की कोई भी चूक अथवा लापरवाही शामिल न हो एवं जिसके विषय में सेवा प्रदाता को किसी प्रकार की जानकारी हो। इस प्रकार की घटनाओं में युद्ध अथवा गृह युद्ध, आगजनी, बाढ़, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध एवं मालभाढा में वृद्धि आदि शामिल हैं परंतु यह केवल इन घटनाओं तक सीमित नहीं है।

यदि अप्रत्याशित घटना जैसी स्थिति निर्मित होती है तो सेवा प्रदाता द्वारा तत्काल इस प्रकार की घटना एवं उसके कारण से ईसीजीसी को अवगत करवाया जाये। जब तक ईसीजीसी द्वारा अन्यथा लिखित रूप में सूचना नहीं दे दी जाती तब तक सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों का निर्वाह करना जहां तक व्यवहार्य हो वहाँ तक जारी रखा जाएगा एवं अप्रत्याशित घटना से जो निष्पादन प्रभावित न हों उनके लिए विकल्प तलाश कर उनका उपयोग किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों द्वारा इस समझौते के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित उक्त दर्शाये अनुसार दिन एवं तारीख इस पर हस्ताक्षर किए गए।

कृते एवं ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से	**कृते एवं सेवा प्रदाता की ओर से**
उक्त " कंपनी " द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा	**उक्त " सेवा प्रदाता " द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा**
______________________________	______________________________
नाम :	**नाम** :
पदनाम : **महाप्रबंधक (वि व लेखा)**	**पदनाम** :

ई सी जी सी ECGC

साक्षी :

1.

2.

अनुलग्नक-8

बैंक विवरण

क्र सं	विवरण	विवरण
1.	खाताधारक का नाम	
2.	बैंक का नाम	
3.	बैंक का पता	
4.	बैंक शाखा का आई एफ एस सी कोड	
5.	बैंक खाता सं	
6.	खाते का प्रकार	

...
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर)
नाम
पदनाम
संपर्क सं (मोबाईल)
ईमेल आई डी

ई सी जी सी ECGC

अनुलग्नक-9

पात्रता मानदंड

बोलीकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा :-

क) बोलीकर्ता का सनदी लेखाकार फर्म (स्वामित्व/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.) होना अनिवार्य है जिसका मुंबई में स्वयं का कार्यालय हो।

ख) सनदी लेखाकार फर्म का आई सी ए आई में सदस्य के रूप में पंजीकरण के 5 वर्ष पूरे होने चाहिए।

ग)सनदी लेखाकर फर्म (सी ए फर्म) को 300 करोड़ पण्यावर्त वाले केन्द्रीय बीमा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू) अथवा राज्य बीमा सार्वजनिक उपक्रम (पी एस यू) में अप्रत्यक्ष कर (जी एस टी) में प्रतिधारण आधार पर जी एस टी हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हुए 3 वर्षों का अनुभव हो।

घ)दिनांक 31 मार्च 2022 तक बोलीकर्ता का भारत में परामर्श कारोबार में 5 वर्षों का अनुभव पूरा हो।

ङ) मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एम एम आर) में प्रधान कार्यालय वाले अथवा एम एम आर में पूर्ण रूप से कार्यकारी शाखा वाले फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।